कार्यालय आयुक्त, राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान ज य पु र.

क्रमांक एफ– 50/मूल्या./2010–11/ 228–265 दिनांकः– 12.11.2010

उप/सहायक निदेशक
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
जिला कार्यालय——————————————

विषयः– वर्ष 2011–12 की परिपक्वता सूचियों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 60 वर्ष के आधार पर परिपक्व होने वाले मामलों की सूची आपको भिजवायी जा रही है। इन प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही करावेंः–

1. परिपक्वता सूची के अनुसार जो पत्रावलियॉ आपके जिला कार्यालय में उपलब्ध हैं, उन प्रकरणों को स्वत्व प्रगति पंजिका में दर्ज कर वर्ष वर्ष 2010–11 की खतौनी के आधार पर अंतिम पते पर बीमेदार के विभाग को स्वत्व प्रपत्र भिजवाये जावें एवम् इसकी सूचना बीमेदार के स्थायी पते पर (पत्रावली में उपलब्ध अन्तिम पत्राचार के आधार पर) पर भिजवायें।
2. सूची के अनुसार जो पत्रावलियॉ आपके जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, तथा कटौतियॉ प्राप्त हो रही है, उन पत्रावलियों को मास्टर इण्डेक्स से तलाश कर पत्रावली सम्बन्धित जिलो से प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. सूची के अनुसार जो पत्रावलियॉ आपके जिला कार्यालय में नहीं है, तथा जिनकी कटौतियॉ भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो निम्नानुसार कार्यवाही करावेंः–
    a. यह ज्ञात किया जावे कि क्या आपके जिला कार्यालय द्वारा इस बीमेदार के दावे के भुगतान, पूर्व में अध्यर्पण/मृत्यु दावे के रूप में तो नहीं कर दिया गया है ?
    b. इस प्रकरण में पत्रावली पूर्व में अन्य जिला कार्यालय को भिजवा दी गयी हो, तो यह प्रकरण सम्बन्धित जिले को स्थानान्तरित किया जावे।
    c. यदि **a** एवम् **b** दोनों ही स्थितियॉ नहीं हो, तो इस प्रकार की सूची बनाकर मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग से जॉच की जावे कि अन्य जिला कार्यालय से प्रकरण में पूर्व में ही भुगतान तो नहीं कर दिया गया है।

उपर्युक्त प्रत्येक स्थिति की सूचना मुख्यालय को भी भिजवायी जावे।

4. सूची के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनकी पत्रावली आपके जिला कार्यालय में है तथा जिनकी कटौतियॉ प्राप्त नहीं हो रही है उनका वर्तमान पदस्थापन ज्ञात कर पत्रावली सम्बन्धित जिले को स्थानान्तरित करावें तथा इसकी सूचना मुख्यालय को भी प्रेषित करें।

5. दि. 01.04.2011 को परिपक्व होने वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में उक्त समस्त कार्यवाही कर दिनांक 31.12.2010 तक निम्न प्रारूप में सूचना मुख्यालय को प्रेषित करावें। कॉलम संख्या–10 की पूर्ति दिनांक 25.03.2011 तक पूर्ण कराते हुए सूचना मुख्यालय को प्रेषित करें।

सूची अनुसार कुल प्रकरणों की संख्या	अन्य जिलों से प्राप्त प्रकरण	योग (1+2)	पूर्व में मृत्यु /अध्यर्पण /परि.स्वत्व सेनिस्तारित मामलों की संख्या(सूची संलग्न करें।	अन्य जिलों को स्थानान्तरित प्रकरण (सूची संलग्न करें)	जिन मामलों में पत्रावली उपलब्ध नहीं है। (सूची संलग्न करें)	योग (4+5+6)	शेष प्रकरण (3–7)	भेजे गये स्वत्व प्रपत्रों की संख्या	प्राप्त स्वत्व प्रपत्रों की संख्या	जारी किये गये अग्रिम अधिकार पत्रों की संख्या एवम् राशि अंकित करें।(सूची संलग्न करें)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11

उक्त समस्त प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31.01.2011 तक स्वत्व प्रपत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करावें तथा जिन प्रकरणों में दिनांक 28.10.2011 तक स्वत्व प्रपत्र प्राप्त हो जाते हैं तो उनके अग्रिम अधिकार–पत्र दिनांक 25.03.2011 तक जारी कर जारी कर सूचना मुख्यालय को प्रेषित करें। उपर्युक्त प्रारूप में ही सूचना भिजवायें। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मुख्यालय की अनुमति से ही किया जावे जिससे एकरूपता बनी रहे।

आयुक्त
राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान –ज य पु र.